राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 67/2023 निगरानी

1. सुरेश सुराणा पुत्र स्व. श्री मनोहर सिंह जी सुराणा आयु वयस्क निवासी सुराणा भवन, युको बैंक के पास, नागौरी गार्डन, भीलवाड़ा राज.
2. अमित सुराणा पुत्र स्व. श्री नरेश कुमार जी सुराणा आयु वयस्क निवासी सुराणा भवन, युको बैंक के पास, नागौरी गार्डन, भीलवाड़ा राज.

—निगराकार

बनाम

ग्राम पंचायत हलेड़ जरिये सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.

—गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध आलौच्य आदेश ग्राम पंचायत हलेड़ दिनांकित 06/03/2023

उपस्थित – 1. श्री अमित कोठारी, अधिवक्ता निगराकार
2. श्री अभिमन्यु जोशी, अधिवक्ता गैर निगराकार

निर्णय

दिनांकः—15/04/2026

निगराकारान की ओर से यह अपील निम्नानुसार प्रस्तुत कर सादर निवेदन है कि ग्राम सबलपुरा ग्राम पंचायत हलेड़ पंचायत समिति सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 285/1 किस्म आबादी में स्थित भुखण्ड संख्या 06 नपती 60 फिट बाई 40 फिट का बापी पट्टा मिसल संख्या 69 संवत् 2030 के जरिये दिनांक 04/10/1974 को कैलाश चन्द्र पिता श्री सुर्यनारायण जी ओझा के पक्ष में जारी किया गया। उक्त भुखण्ड़ को निगराकारान के पिता व दादा श्री मनोहर सिंह जी सुराणा ने कैलाश चन्द ओझा से दिनांक 05/01/1977 को जायज प्रतिफल अदा करते हुये खरीद किया। जिसका बिकावनामा कैलाश चन्द ओझा ने तत्समय ही मुल पट्टे की ही पुश्त पर निष्पादित करा साखें दिला अपने हस्ताक्षर कर मुल दस्तावेज दिये और विक्रयशुदा भुखण्ड का कब्जा निगराकारान के पिता व दादा श्री मनोहर सिंह जी सुराणा को सिपुर्द कर दिये । तब से उक्त जायदाद पर मनोहर सिंह जी सुराणा उनके निधन उपरान्त निगराकारान काबिज हो उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं । उक्त जायदाद के पड़ौस

15-4-26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

निम्नानुसार है:—पूर्व :— भुखण्ड संख्या 05 पश्चिमः आम रास्ता उत्तर :— भीलवाड़ा—मंगरोप सड़क दक्षिणः भुखण्ड संख्या 07। निगराकारान के पिता व दादा श्री मनोहर सिंह जी सुराणा ने बाद खरीद उक्त चौहदी के मध्य स्थित बापी पट्टेथुदा जायदाद पर रेस्पोडेण्ट से नक्शा स्वीकृत करा निर्माण कराया है । तदुपरान्त निगराकारान के पिता व दादा श्री मनोहर सिंह जी सुराणा द्वारा उक्त जायदाद का नामान्तरकरण खोलने बाबत् प्रस्तुत आवेदनपत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाते हुये रेस्पोडेण्ट द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 09/05/2018 में वर्णित बिन्दु संख्या (ख) (शुल्क दर) 4 के अनुसार नामान्तरण शुल्क राशि 4320/— मांग पत्र दिनांक 06.08.2018 की पालना में जमा करा दिए जाने से उक्त भूखण्ड संख्या 6 का नामान्तरण/हस्तान्तरण दर्ज करने की स्वीकृति जारी की हुई है, प्रमाण में नामान्तरण आदेश प्रति हमराह निगरानी पेश की जा रही है। निगराकारान के पिता व दादा श्री मनोहर सिंह जी सुराणा का दिनांक 10/12/2020 को स्वर्गवास हो गया है उन्होने जीवनकाल में ही उक्त जायदाद व अन्य सम्पत्तियों बाबत् निगराकारान के पक्ष में एककिता वसीयतनामा दिनांक 30/11/2018 को निष्पादित करा साखें दिला अपने हसताक्षर कर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करा दिया। उक्त वसीयतनामा निगराकारान के पिता व दादा श्री मनोहर सिंह जी सुराणा के स्वर्गवास हो जाने से प्रभाव में आ चुका है। जिस आधार पर हस्तगत निगरानी में उल्लेखित जायदाद व अन्य सम्पत्तियों निगराकारान के स्वामित्व में आई है। निगराकारान के पिता व दादा द्वारा निगराकारान के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामे के आधार ग्राम सबलपुरा स्थित भूखण्ड संख्या 6 का नामान्तरण निगरकारान के नाम पर करने हेतु आवेदन पत्र निगराकारान के नाम पर करने हेतु आवेदन पत्र निगराकारान ने प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 में दिनांक 24.11.2021 को प्रस्तुत किया। उक्त आवेदनपत्र प्रस्तुत करने उपरान्त निगराकारान द्वारा कई मर्तबा इस संबंध में रेस्पोन्डेन्ट को अवगत कराते हुए निगराकारान के पक्ष में नामा0 स्वीकृत किए जाने हेतु निवेदन किया गया।निगराकारान द्वारा नामान्तरण के संबंध में अनवरत अमल में लाई जा रही कार्यवाहीयों से रेस्पोडेण्ट के अधिनस्थ कर्मचारी/अधिकारी निगराकारान से दुर्भावना व वैमनस्यता रखने लग गये। जिसके कारण रेस्पोडेण्ट द्वारा दिनांक 06/03/23 को उक्त भुखण्ड संख्या 06 के नामान्तरण बाबत् प्रस्तुत आवेदनपत्र पर अपने तही प्रस्ताव पारित करते हुये नामान्तरण आवेदनपत्र पर आदेश न कर निगराकारान के पिता व दादाश्री मनोहर सिंह जी सुराणा के पक्ष में हस्तगत जायदाद बाबत् खोला गया नामान्तरण आदेश दिनांकित 06/08/18 को ही अस्वीकृत कर दिया । जबकि इस संबंध में आज दिन तक कोई किसी प्रकार से किसी को आपत्ति अथवा उजर एतराज नहीं था व न ही है और न किसी ने इस संबंध में रेस्पोडेण्ट के समक्ष आपत्ति ही प्रस्तुत की है। फिर भी रेस्पोडेण्ट ने बिना किसी आधार के आलौच्य आदेश पारित करने में भारी कानुनी भुल फरमाई है। ऐसी हालत में, बिना निगराकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना ही, पारित आलौच्य आदेश कानुनन पोषणीय न हो काबिल खारिजी के है । निगराकारान को अभी हाल ही में आलोच्य आदेश की जानकारी रेस्पोडेण्ट कार्यालय में नामान्तरण के संबंध में मालुमात् करने हुई। जिस पर अपीलाण्ट ने आलौच्य आदेश प्राप्त करने बाबत् अविलम्ब आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर अपीलाण्ट को आलौच्य आदेश 17/04/2023 को नकल प्राप्त

15.4.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

हुई है,निगरानी अंदर अवधि पेश है। प्रार्थना है कि निगरानी निगराकारान स्वीकार फरमा ग्राम पंचायत हलेड द्वारा पारित आलौच्य आदेश को निरस्त किये जाने का न्यायोचित्त आदेश सादिर फरमावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किए गए। ग्राम पंचायत की ओर से अधिवक्ता ने पैरवी की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष की बहस सुनी गई। निगराकार अधिवक्ता ने अपनी निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए आलौच्य आदेश दिनांक 06.03.2023 कानूनन पोषणीय नहीं होने के कारण निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया। गैर निगराकार अधिवक्ता ने दौराने बहस बताया दिनांक 06.03.2023 कोरम बैठक में पंचायत द्वारा अपंजीकृत दस्तावेज का नामान्तरण प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था। आलौच्य आदेश दिनांक 06.03.2023 विधि अनुरूप ही पारित किया गया था।

प्रकरण में विवेचन उपरान्त पाया गया कि ग्राम पंचायत का आदेश दिनांक 06.03.2023 विधिक रूप से उचित है। प्रार्थी सक्षम सिविल न्यायालय में अनुतोष हेतु स्वतंत्र है। निगरानी अस्वीकार योग्य ठहरती है, अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम सारहीन होने से अस्वीकार जाती हैं। प्रार्थी सक्षम न्यायालय में अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। निर्णय की प्रति ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत हलेड़ तहसील–भीलवाड़ा को प्रेषित की जाए।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15.4.26

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा